न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1420–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2011 – पारित व्दारा आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल – प्रकरण कमांक 145/2008–09 निगरानी

1– सुश्री सियावाई पुत्री नन्हेलाल खण्डेलवाल
2– प्रेमचंद पुत्र साधूलाल खण्डेलवाल
3– गोविंद पुत्र लालचंद खण्डेलवाल
निवासीगण ग्राम पाली तहसील पाली
जिला उमरिया तत्का.तहसील सोहागपुर
जिला शहडौल मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन व्दारा कलेक्टर शहडौल
वर्तमान कलेक्टर उमरिया ---अनावेदक

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री डी0के0शुक्ला अभिभाषक – अनावेदक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 7 अक्टूबर 2015 को पारित)

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 145/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–6–2011 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है नायव तहसीलदार पाली ने जांच में पाया कि ग्राम मठगार स्थित आराजी कमांक 38/4 रकबा 5.00 एकड़, 38/3 रकबा 5.00 एकड़, 38/2 रकबा 2.00 एकड़ बिना सक्षम आदेश के शासकीय अभिलेख में आवेदकगण के नाम दर्ज है नायब तहसीलदार सोहागपुर ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत प्र.क. 209/बी–121/

1980-81 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 6-2-1982 से आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि संशोधित कर भूमि पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर के समक्ष अपील क्रमांक 127/1981-82 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30.9.1982 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। नायव तहसीलदार सोहागपुर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की तथा प्रकरण क्रमांक 209/बी-121/1980-81 में आदेश दिनांक 28-3-1986 पारित करके भूमि पूर्ववत् आवेदकगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

दैनिक भास्कर एंव दैनिक जनबोध समाचार पत्रों में उक्त प्रकरण में अनियमितताओं के समाचार प्रकाशित होने पर तहसीलदार सोहागपुर ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 16-6-1986 प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर जिला शहडौल ने नायव तहसीलदार सोहागपुर के प्रकरण क्रमांक 209/बी-121/1980-81 में पारित आदेश दिनांक 28-3-1986 को स्वमेव निगरानी में लिया एंव क्रमांक 64/1985-86 पर स्व.निगरानी पर दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-12-1986 पारित किया तथा आवेदकगण के हित में मूल प्रकरण क्रमांक 23, 24, 25/अ-19/1976-77 से भूमि व्यवस्थापित होना अंकित होने एंव राजस्व दायरा पंजी में प्रकरण दर्ज नहीं मिलने से नायव तहसीलदार सोहागपुर के आदेश दिनांक 28-3-1986 को निरस्त कर दिया एंव भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष निगरानी क्रमांक 145/08-09 प्रस्तुत होने पर आयुक्त ने

आदेश दिनांक 6-6-2011 से कलेक्टर जिला शहडौल का आदेश दिनांक 22-12-1986 निरस्त कर प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत पुनः स्वमेव निगरानी में सुनवाई हेतु वापिस किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने आपत्ति की कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत निगरानी सुनने का अधिकार क्षेत्र राजस्व मण्डल को नहीं है। इस पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने बानमोर सीमेंट वर्क्स लिमि. (मेस)मुरैना विरूद्ध म0प्र0राज्य 2012 रा0नि0 में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा-44 - अपील का चलाने योग्य होना - राजस्व अधिकारी व्दारा म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र के उपबंधों के अधीन आदेश पारित - राजस्व मण्डल के समक्ष ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील चलाने योग्य है। इसी प्रकार फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्रसिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 में माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) का न्यायिक दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा-50 -व्याप्ति- राजस्व अधिकारी व्दारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पुनरीक्षण में पारित आदेश - ऐसे आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण - राजस्व मंडल को इसे ग्रहण करने की शक्ति है तथा पुनरीक्षण चलाने योग्य है। अतएव इन्हीं आधारों पर विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने आयुक्त, शहडौल संभाग के आदेश दि. 6-6-11 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि जब आयुक्त ने कलेक्टर शहडौल के आदेश दि.22-12-1986

को अधिकार क्षेत्र के वाहर होना निरूपित किया है तब ऐसे आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करना चाहिये थी, किन्तु उन्होंने कलेक्टर को पुनः स्वमेव निगरानी करने का डायरेक्शन देने में गलती की है।

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दि. 6-6-11 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने तत्समय प्रचलित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रचलित नियमों के प्रकाश में कलेक्टर शहडौल के आदेश की विवेचना की है जिसमें तत्समय वर्ष 1986 में तहसीलदार/नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध स्वमेव पुनरीक्षण का प्रावधान न होने से कलेक्टर को आदेश निरस्त किया तथा राजस्व विभाग व्दारा दिनांक 25-8-1987 व्दारा नवीन कंडिका 30 (क) जोड़कर स्वमेव पुनरीक्षण प्रावधान जोड़े जाने से कलेक्टर को पुनः स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ ग्राम मठगार स्थित आराजी क्रमांक 38/4 रकबा 5.00 एकड़, 38/3 रकबा 5.00 एकड़, 38/2 रकबा 2.00 एकड़ आवेदकगण के नाम प्रकरण क्रमांक 23, 24, 25/अ-19/1976-77 से व्यवस्थापन में मिलने का तथ्य कलेक्टर के समक्ष स्पष्ट हुआ है जबकि राजस्व दायरा पंजी में यह प्रकरण दर्ज नहीं है और इस प्रकार की फर्जकारी पाने के कारण वास्तविक स्थिति की जॉच के उद्देश्य से आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 6-6-11 से कलेक्टर को पुनः स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का एंव अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है तथा पुर्नजांच एंव सुनवाई में वास्तविक स्थिति भी प्रकट हो जावेगी, जिसके कारण

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 145/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2011 उचित प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 145/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2011 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर